21/10/19

सुनवाई (प्रारम्भ) वकील प्रार्थीगण अनुपस्थित (अप्रार्थी अधि०)
वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण
के बार बार रूक-रूक कर प्रकरण के
आधार न्यायालय समय से न्यायालय
समय समाप्ति तक आधार प्रस्तुत करें।
बावजूद वकील प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की
ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः
प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार
अस्वीकृत पेटी में आदि किया जाता है सुनवाई
की तारीख का इंतजार पेशकार द्वारा
दिया जाता है।

21-10-19

सहायक कलेक्टर एवम्
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर (प्रथम)

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Agarwal
Date: 2019.11.20 12:02:46 IST
Reason: SelfAttested